

 कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नीलामी के माध्यम से भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर					नीलामी तिथि- 24.08.20187 स्थान-प्राधिकरण समागार समय 12:00 बजे	
क्र०सं०	योजना का नाम	रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी० में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमी०	घरोहर राशि (अनु०कीमत की 10%) (रु०)	
01	आशियाना प्रथम	M.I.G Plot- 22	150.00	23,000.00	3,45,000.00	
02	एकता विहार उत्तरी	M.M.I.G-A-223	60.00	14,500.00	87,000.00	
04	आजाद नगर	L.I.G-LP-36* , L.I.G-LP-95*, L.I.G-LP-68*	56.00	15,500.00	86,800.00	
05	आजाद नगर	E.W.S-285*	40.00	15,500.00	62,000.00	
06	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-55	241.65	12,000.00	2,89,980.00	
07	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-34	243.00	12,000.00	2,80,800.00	
08	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-108	203.04	12,000.00	2,43,648.00	
09	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	C-14	335.00	12,000.00	4,02,000.00	
10	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	C-60	244.25	12,000.00	2,93,100.00	
11	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-415	72.00	12,000.00	86,400.00	
12	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-52*	162.00	12,000.00	1,94,400.00	
13	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-554*, B-557*,	60.00	12,000.00	72,000.00	
14	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	A-175*	136.00	12,000.00	1,63,200.00	
15	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	B-97*	151.42	12,000.00	1,81,704.00	
16	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	B-01 से B-24 तक, B-27, 28, B- 30 से B-42 तक, B-103, 104, B- 41, B-62, B-90A, D-35, D- 109, D-113, C-74,	162.00	12,000.00	1,94,400.00	
17	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	B-93,95,98,99	189.00	12,000.00	2,26,800.00	
18	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	E-66	66.00	12,000.00	79,200.00	
19	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	C-356, 360, 419, 434, A-63, 117, 118, 261, 612, 418, 530 B-195	162.00	12,000.00	1,94,400.00	

20	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	A-90, C-426, 427	135.00	12,000.00	1,62,000.00
21	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	B-335	91.80	12,000.00	1,10,160.00
22	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	D-22	472.50	12,000.00	5,67,000.00
23	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	E-17	455.62	12,000.00	5,46,744.00
24	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	F-30	517.50	12,000.00	6,21,000.00
25	नया मुरादाबाद सेक्टर-15	E-48	289.50	12,000.00	3,47,400.00
26	नया मुरादाबाद सेक्टर-15	A-76	244.00	12,000.00	2,92,800.00
27	नया मुरादाबाद सेक्टर-15	E-158 C-59	201.19 200.00	12,000.00 12,000.00	2,41,428.00 2,40,000.00
28	सीतापुरी दस सराय	22, 24, 33, 53, 75	60.00	12,000.00	72,000.00
व्यवसायिक भूखण्ड					
1	एकता विहार दक्षिणी	Commercial Plot-02	526.20	29,000.00	15,25,980.00
2	आजाद नगर	Commercial Plot-CP-02	1503.00	31,000.00	46,59,300.00
3	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-01	40.50	44,000.00	1,78,200.00
4	आशियाना द्वितीय	Commercial Plot-CS-02	57.50	44,000.00	2,53,000.00

❖ नियम व शर्त :-

- (1) आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में नियम व शर्तों की पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक से 500/- जमा करके प्राप्त की जा सकती है ।
- (2) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राधिकरण में स्थित केनरा बैंक शाखा एम0डी0ए0 में जमा करना होगा ।
- (3) नीलामी की तिथि पर अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय व स्थल पर सम्पन्न की जायेगी ।
- (4) भूखण्डों की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजित करते हुये अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 4 त्रैमासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा आवासीय 15 प्रतिशत एवं व्यवसायिक 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 16 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी । विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा ।
- (5) यदि उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के बाद एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो 2 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी ।
- (6) आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटनी के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त करने पर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- (7) भूखण्ड के कब्जे से पूर्व भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड एवं अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा अनुबन्ध/विक्रय विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा ।
- (8) बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय मु0वि0प्रा0 में निहित होगा ।
- (9) भूखण्डों की योजना का ले-आऊट प्लान प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में इच्छुक अभ्यर्थी देख सकते हैं ।
- (10) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा ।
- (11) समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।
- (12) सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान भूखण्डों के मूल्य के अतिरिक्त आवंटनी को देना होगा ।